कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001

E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः–113/बा० शा० /　　　　　　　　दिनांकः–01/03/2023

बन्दोबस्ती की सूचना

जयपाल सिंह स्टेडियम के दक्षिण भाग में नव–निर्मित अटल स्मृति वेंडर मार्केट के तृतीय तल में निगम स्वामित्व की 21 Office/Commercial Space को मासिक किराये पर आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव आंमत्रित किये जाते है। Office/Commercial Space का आवंटन खुली डाक द्वारा किया जायेगा एवं उच्चतम बोली वाले को Office/Commercial Space आवंटन की जायेगी। डाक की Base Price 40/–रू० प्रति वर्गफीट प्रतिमाह (कर अतिरिक्त) निर्धारित है। जमानत की राशि के रूप में 100/–रू० प्रति वर्गफीट के दर से बैंक ड्राफ्ट नगर आयुक्त, राँची नगर निगम के नाम से जमा करना होगा। Office@Commercial Space का क्षेत्रफल एवं निविदा का आमंत्रण निम्न प्रकार से है:–

क्रम सं०	कार्यालय संख्या	कार्यालय का क्षेत्रफल	जमानत की राशि	निविदा प्राप्त करने की तिथि	निविदा निष्पादन की तिथि
1	01	1484	148400	दिनांक 24/03/2023 अपराह्न 1:00 बजे तक।	दिनांक 24/03/2023 अपराह्न 03:00 बजे।
2	02	1002	100200		
3	03	1182	118200		
4	04	1326	132600		
5	05	1814	181400		
6	06	938	93800		
7	07	1033	103300		
8	08	900	90000		
9	09	900	90000		
10	10	1532	153200		
11	11	1695	169500		
12	12	1055	105500		
13	13	1029	102900		
14	14	1456	145600		
15	15	1412	141200		
16	18	1286	128600		
17	19	1300	130000		
18	20	1281	128100		
19	21	1048	104800		
20	22	1640	164000		
21	23	1665	166500		

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

नोटः— 1. आवेदन पत्र दिनांक 15/03/2023 से 18/03/2023 तक किसी भी कार्य दिवस को निगम कार्यालय से 500/—रू० जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

बन्दोबस्ती के नियम एवं शर्त्ते निगम वेब—साईट **www.ranchimunicipal.com** पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रर्दर्शित है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

ह०/—
अपर नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक 113/बा०शा० दिनांक 01/03/2023.

प्रतिलिपि :—

1. श्री गुरू दयाल सिंह P.E.S. Specialist (PMAY), को इस निदेश के साथ उक्त सूचना का तीन प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में DAVP Rate पर न्यूनतम स्थान में प्रकाशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
2. श्री राजेश कुमार, कम्प्युटर प्रोग्रामर, राँची नगर निगम, राँची को बन्दोबस्ती से संबंधित नियम एवं शर्त्ते निगम वेब—साईट पर प्रर्दशन करने हेतु प्रेषित।
3. अपर नगर आयुक्त—सह—अध्यक्ष निविदा निष्पादन समिति/सहायक नगर आयुक्त—सह—मुख्य लेखा शाखा पदाधिकारी/स्वा० चिकित्सा पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (अभियंत्रण शाखा) कार्यालय अधीक्षक/प्रभारी, विधि शाखा, सदस्य निविदा निष्पादन समिति राँची नगर निगम, राँची को सूचनार्थ एवं निर्धारित तिथि को निविदाओं के निष्पादन हेतु निविदा निष्पादन समिति की बैठक में उपस्थित होने के निदेश के साथ प्रेषित।
4. माननीया महापौर/उप महापौर, राँची नगर निगम, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।
5. नगर आयुक्त महोदय, राँची नगर निगम, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अपर नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।

कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

निविदा की शर्तें।

1. डाक की Base Price 40/-रू० (कर अतिरिक्त) वर्गफीट प्रतिमाह है।
2. आवेदन पत्र दिनांक 15/03/23 से 18/03/23 तक 500/-रू० जमा कर किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
3. निर्धारित सुरक्षित जमा राशि वाले प्रस्ताव को खारिज किया जायेगा।
4. डाक में भाग लेने के वाले इच्छुक व्यक्ति को जमानत की राशि के रूप में 100/-रू० प्रति वर्गफीट की दर से डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, राँची नगर निगम राँची के नाम से देय) जमा करना होगा। असफल निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।
5. सफल निविदादाता को जमानत कि राशि के रूप में 03 माह किराया का समतुल्य राशि जमा करना होगा तथा जमानत की राशि भी समायोजित कर ली जायेगी।
6. निविदा प्रस्ताव में Office/Commercial Space का संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।
7. आवंटन अवधि 10 वर्ष के लिए मान्य होगा।
8. डाक राशि जमा नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुर्न निविदा की जायेगी।
9. सफल निविदादाता को जमानत की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वंय के खर्च पर कराना होगा।
10. डाक के एक सप्ताह एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः डाक पर कराना होगा।
11. डाक वक्ता को पहचान के रूप में आवश्यक कागजात, (आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति) प्रस्तुत करना होगा।
12. प्रत्येक माह के 10 तारिख तक अग्रिम मासिक किराया जमा करना होगा।
13. Office/Commercial Space में जल एवं विद्युत व्यवस्था आवंटियों को स्वयं करनी होगी।
14. Office/Commercial Space आवंटन रद्द किये जाने Office/Commercial Space में खाली करने के एक माह पुर्व निगम कार्यालय को सूचित करना होगा।
15. किसी प्रकार की मरम्मत्ति या स्वरूप में बदलाव के पूर्व निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
16. Office/Commercial Space का स्वामित्व रांची नगर निगम का होगा एवं आवश्यकतानुसार निगम के पदाधिकारी एवं कर्मचारी निरीक्षण करने को स्वतंत्र होगे।
17. किसी भी समय बिना किसी सूचना के डाक रद्द करने का अधिकार नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची को सुरक्षित होगा।
18. Bidding Office/Commercial Space के मासिक किराया निर्धारण हेतु होगा।
19. Govt/PSUS संस्था छोड़ सभी निविदादाता को Pre-bid EMD जमा करना अनिवार्य होगा।
20. सफल डाकवक्ता का Pre-bid EMD, Security Deposit में परिवर्तित किया जायेगा, अगर सफल डाकवक्ता तय समय-सीमा में एकरारनामा करने में असफल होते है तो उनका जमानत राशि जब्त कर लिया जायेगा।
21. निर्धारित मासिक किराया प्रति तीन वर्ष में 10% वृद्धि की जायेगी।
22. मासिक किराया के अतिरिक्त Maintanance चार्ज नियमानुसार देय होगा।
23. सफल बिडर द्वारा दो महीना का मासिक किराया जमा नहीं किये जाने पर एकरारनामा रद्द किया जायेगा एवं उनका Security Deposit/Advance जब्त कर लिया जायेगा।

24. यदि सफल बिडर (Govt/PSU के अतिरिक्त) अपना स्थान 1 वर्ष पश्चात् रिक्त करता है तो उनका Security Deposit निगम के द्वारा बिना Interest वापस कर दी जायेगी, बशर्ते उनके कोई भी बकाया निगम में न हो। एक वर्ष के पूर्व स्थान रिक्त करने पर Security Deposit जब्त कर लिया जायेगा।

25. किसी तरह का अवैध व्यापार/गलत कृत पाये जाने पर एकरानामा रद्द करते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

26. Sub Ieasing/Sub letting की अनुमति नहीं दी जायेगी।

27. Office/Commercial Space का विज्ञापन JMA Rule 2011 के अनुरूप होगा।

28. बिजली बिल का भुगतान सफल डाकवक्ता के द्वारा किया जायेगा।

29. बाजार शाखा से आवेदन प्रपत्र क्रय का रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं आवेदन प्रपत्र क्रय करने वाले व्यक्ति ही निविदा में भाग ले सकते है।

अपर नगर आयुक्त,
राँची नगर निगम, राँची।